युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

मांग संख्या 86

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार हैः

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2000-2001 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	संशोधित 2000-2001 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	बजट 2001-2002 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व		213.15	44.97	258.12	214.15	44.98	259.13	253.20	59.97	313.17
पूंजी		*1.85*	*0.03*	*1.88*	*0.85*	*0.02*	*0.87*	*1.80*	*0.03*	*1.83*
जोड़		**215.00**	**45.00**	**260.00**	**215.00**	**45.00**	**260.00**	**255.00**	**60.00**	**315.00**
1. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	2251	0.30	4.00	4.30	0.30	5.69	5.99	0.30	5.39	5.69
खेल और युवा सेवाएं										
युवा कल्याण योजनाएं										
2. नेहरू युवा केन्द्र संगठन	2204	21.90	15.00	36.90	25.50	14.80	40.30	23.23	17.18	40.41
3. राष्ट्रीय सेवा योजना	2204	4.05	2.79	6.84	4.05	2.79	6.84	4.37	3.07	7.44
	3601	22.07	2.65	24.72	21.07	2.65	23.72	19.45	2.87	22.32
	3602	0.03	0.06	0.09	0.03	0.06	0.09	0.03	0.06	0.09
	जोड़	*26.15*	*5.50*	*31.65*	*25.15*	*5.50*	*30.65*	*23.85*	*6.00*	*29.85*
4. राष्ट्रीय अनुशासन योजना	3601	...	5.00	5.00	...	3.60	3.60	...	5.00	5.00
5. राष्ट्रीय सेवा स्वंयसेवी सेवा स्कीम	2204	6.00	...	6.00	5.40	...	5.40	5.40	...	5.40
6. राष्ट्रीय समेकन कार्यक्रम	2204	4.00	...	4.00	3.75	...	3.75	4.50	...	4.50
7. युवा होस्टल	2204	0.15	...	0.15	0.15	...	0.15	0.15	...	0.15
	4202	1.85	...	1.85	0.85	...	0.85	1.80	...	1.80
	जोड़	*2.00*	*...*	*2.00*	*1.00*	*...*	*1.00*	*1.95*	*...*	*1.95*
8. राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान	2204	2.00	0.20	2.20	0.75	0.19	0.94	1.00	0.30	1.30
9. राष्ट्रीय पुनर्निमाण कोर	2204	12.00	...	12.00	3.00	...	3.00	10.80	...	10.80
10. अन्य योजनाएं	2204	10.89	1.41	12.30	11.84	1.36	13.20	11.03	2.21	13.24
	3601	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10
	जोड़	*10.99*	*1.41*	*12.40*	*11.94*	*1.36*	*13.30*	*11.13*	*2.21*	*13.34*
जोड़-युवा कल्याण योजनाएं		**85.04**	**27.11**	**112.15**	**76.49**	**25.45**	**101.94**	**81.86**	**30.69**	**112.55**
खेल एवं खेल-कूद										
11. भारतीय खेल प्राधिकरण	2204	70.25	7.89	78.14	81.25	8.16	89.41	81.33	17.41	98.74
12. लक्ष्मी बाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान	2204	4.00	2.75	6.75	4.00	2.55	6.55	4.00	3.00	7.00
13. खेल संघों को अनुदान	2204	15.00	2.00	17.00	22.00	1.83	23.83	15.50	2.00	17.50
14. विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को अनुदान	2204	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	4.50	...	4.50
15. खेल गतिविधियों के संवर्धन के लिए प्रोत्साहन	2204	4.00	...	4.00	4.00	...	4.00	3.60	...	3.60
16. खेल आधारभूत संरचना का निर्माण	2204	2.00	...	2.00	3.50	...	3.50	2.00	...	2.00
	3601	7.75	...	7.75	7.75	...	7.75	6.25	...	6.25
	3602	0.25	...	0.25	0.25	...	0.25	0.25	...	0.25
	जोड़	*10.00*	*...*	*10.00*	*11.50*	*...*	*11.50*	*8.50*	*...*	*8.50*
17. सिंथेटिक ट्रैक्स एव सतहें बिछाना	2204	8.50	...	8.50	2.00	...	2.00	5.40	...	5.40
18. खेल प्रतिभा अनुसंधान छात्रवृत्ति योजना	2204	3.00	...	3.00	4.00	...	4.00	3.60	...	3.60
19. अफ्रीकी एशियाई खेल	2204	...	...	...	1.00	...	1.00	20.00	...	20.00
20. राष्ट्रीय खेल विकास निधि	2204	5.50	...	5.50	1.25	...	1.25	1.00	...	1.00
21. अन्य स्कीम	2204	4.41	1.06	5.47	2.21	1.16	3.37	1.96	1.32	3.28
	4202	...	0.03	0.03	...	0.02	0.02	...	0.03	0.03
	जोड़	*4.41*	*1.09*	*5.50*	*2.21*	*1.18*	*3.39*	*1.96*	*1.35*	*3.31*
जोड़-खेल और युवा कार्य		**129.66**	**13.73**	**143.39**	**138.21**	**13.72**	**151.93**	**149.39**	**23.76**	**173.15**
22. अन्य कार्यक्रम	2204	...	0.16	0.16	...	0.14	0.14	...	0.16	0.16
23. पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं सिक्किम के लिए एक मुश्त प्रावधान	2552	...	...	...	...	...	...	23.45	...	23.45
	जोड़	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*23.45*	*...*	*23.45*
कुल जोड़		***215.00***	***45.00***	***260.00***	***215.00***	***45.00***	***260.00***	***255.00***	***60.00***	***315.00***

ग. आयोजना परिव्यय*	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़
1. खेल और युवा कार्य	22204	214.70	...	214.70	214.70	...	214.70	231.25	...	231.25
2. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	22251	0.30	...	0.30	0.30	...	0.30	0.30	...	0.30
3. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	...	...	...	...	...	...	23.45	...	23.45
जोड़		**215.00**	**...**	**215.00**	**215.00**	**...**	**215.00**	**255.00**	**...**	**255.00**

1. **सचिवालय-समाजिक सेवाएं** : इसमें सचिवालय के व्यय के लिए व्यवस्था की गई है।

2. **नेहरू युवा केन्द्र संगठन** : नेहरू युवा केन्द्र संगठन इस मंत्रालय का केन्द्रीय स्वायत्त निकाय है जिसके अन्तर्गत जिलों में नेहरू युवा केन्द्र कार्य कर रहे हैं । यह एशिया-प्रशांत क्षेत्र में निचले स्तर का सबसे बड़ा संगठन है जो 15-35 वर्ष के आयु वर्ग में आने वाले 80 लाख से अधिक युवाओं की आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है। यह संगठन मुख्य रूप से युवा नेतृत्व, प्रशिक्षण, सामुदायिक सेवा कार्यक्रमों, व्यावसायिक प्रशिक्षण, खेल-कूद तथा मनोरंजन, सांस्कृतिक कार्यकलापों, अनौपचारिक शिक्षा आदि कार्यक्रमों के माध्यम से गैर-छात्र ग्रामीण युवाओं के कार्यकलापों को अतिरिक्त बल देने के लिए कार्य कर रहा है ।

3. **राष्ट्रीय सेवा योजना** : यह योजना 1969-70 में विश्वविद्यालयों, कालेजों और उच्चतर शिक्षा देने वाले अन्य संस्थानों के माध्यम से क्रियान्वित की जाती है। योजना पर होने वाला व्यय जम्मू और कश्मीर सरकार व बिना विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों के मामले के अतिरिक्त, जहां पूरा व्यय केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किया जाता है भारत सरकार तथा राज्यों के बीच 7:5 के आधार पर बांटा जाता है। राष्ट्रीय सेवा योजना में इस के स्वयंसेवकों द्वारा अपनाए गए दो प्रकार के कार्यक्रम हैं अर्थात "नियमित गतिविधियां" और "विशेष कैंपिंग कार्यक्रम"। "नियमित गतिविधियों" के अंतर्गत विद्यार्थियों से लगातार दो वर्ष की अवधि के लिए स्वयंसेवक के रूप में कार्य करने, न्यूनतम 120 घंटे प्रतिवर्ष के लिए सामुदायिक सेवा प्रस्तुत करने की आशा की जाती है। इन गतिविधियों में परिसर का सुधार, वृक्षारोपण, अपनाए गए गांवों और गंदी बस्तियों में निर्माण कार्य, कल्याण संस्थाओं में कार्य, रक्तदान, प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषाहार, परिवार कल्याण, एड्स जागरुकता अभियान आदि शामिल है। "विशेष कैपिंग कार्यक्रम" में प्रतिवर्ष अपनाए गए क्षेत्रों में "वानिकीकरण और वृक्षारोपण हेतु युवा" "ग्रामीण पुर्ननिर्माण के लिए युवा", "विकास के लिए युवा" "जन साक्षरता के लिए युवा" "सामाजिक सदभावना के लिए युवा" जैसे विशेष विषयों पर 10 दिन की अवधि वाले कैंप आयोजित किए जाते हैं। इस वर्ष का विषय था "स्वस्थ समाज के लिए युवा" ।

4. **राष्ट्रीय अनुशासन योजना (एन.डीएस.)** : इस योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार, भूतपूर्व राष्ट्रीय फिटनेस योजना के अधीन नियोजित राष्ट्रीय अनुशासन योजना के प्रशिक्षकों के वेतनों तथा भत्तों के व्यय और अन्य प्रासंगिक व्ययों की पूर्ति की व्यवस्था करती है ।

5. **राष्ट्रीय स्वेच्छा सेवा स्कीम** : 1977-78 में शुरू की गई राष्ट्रीय स्वेच्छा सेवा स्कीम का उद्देश्य उन विद्यार्थियों जिन्होंने प्रथम उपाधि पूरी कर ली है, और एक निश्चित अवधि के लिए पूर्ण-कालिक आधार पर राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों में स्वैच्छिक आधार पर शामिल होने का संकल्प किया है, को अवसर प्रदान करना है।

6. **राष्ट्रीय एकीकरण कार्यक्रम** : इस स्कीम के अन्तर्गत, युवा कार्य और खेल मंत्रालय स्वेच्छिक संगठनों, शैक्षणिक संस्थाओं, एन.एस.एस. और एन.वाई. के.एस. को देश के विभिन्न भागों में राष्ट्रीय समेकन शिविरों को आयोजित किए जाने के लिए, राज्यों में परस्पर निरीक्षण-दौरों, वाद-विवाद परिचर्चाओं, सम्मेलनों, अनुसन्धान प्रकाशन, क्षेत्रीय तथा ऑचलिक पर्वो, सांस्कृतिक कार्यक्रमों तथा अन्य गतिविधियों, जिन सभी का उद्देश्य साम्प्रदायिकता, क्षेत्रीयवाद, भाषिक उग्रराष्ट्रीयवाद और अन्य विभाजक प्रवृत्तियां के विरूद्ध लड़ना है, सहायता प्रदान करता है।

7. **युवा छात्रावास** : युवा छात्रावासों का निर्माण युवा यात्रा को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। यात्रा करने में युवा अपने देश की विभिन्नता का अनुभव प्राप्त करने के लिए, विगत कालीन गौरव स्मारकों के साथ-साथ इसके प्राकृतिक सौन्दर्य से अवगत होते हैं जो राष्ट्रीय एकीकरण का संवर्धन करता है। ऐसे छात्रावासों का निर्माण केन्द्रीय और राज्य सरकारों के बीच संयुक्त उद्यम स्वरूप किया गया है जबकि केन्द्रीय सरकार निर्माण-कार्य की लागत व्यय का वहन करती है, राज्य सरकार जल, विद्युत, सुगम्य सड़क मार्ग और कर्मचारी वर्ग क्वार्टरों सहित निःशुल्क लागत की विकसित भूमि प्रदान करती है।

8. **राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान** : राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान, प्रशिक्षण, प्रलेखीकरण, अनुसंधान और मूल्यांकन तथा देश में युवाओं से सबंद्ध सभी कार्यकलापों के विस्तार हेतु उत्तरदायी युवा विकास के लिए एक स्वायत्तशासी निकाय है।

9. **राष्ट्रीय पुनर्निमार्ण कोर स्कीम** : इस स्कीम का उद्देश्य राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में भागीदारी के लिए उन युवाओं को अवसर प्रदान करना है जिन्होंने अपनी मैट्रिक तक शिक्षा पूरी कर ली है। एनआरसी स्वयंसेवकों को सामुदायिक तथा राष्ट्रीय विकास से संबंधित विशेष परियोजनाओं मे नेहरू युवा केन्द्र संगठन द्वारा लगाया जाएगा। वालंटियरों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होगी। वालंटियरों को यात्रा खर्च सहित 1000/- रु. प्रति माह वृत्तिका दी जाएगी। स्कीम को दो वर्ष के लिए पायलट आधार पर केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम के रूप में शुरू किया गया है। पहले वर्ष में एनआरसी स्कीम के कार्यान्वयन के लिए 80 चुनिंदा पिछड़े जिलों की पहचान की गई है।

10. **अन्य युवा कल्याण कार्यकलाप** : इनमें सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों के अन्तर्गत युवकों के प्रतिनिधि मंडलों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्पन्न की जाने वाली यात्राओं, युवा कल्याण कार्यों में संलग्न ऐच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता दिए जाने, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार योजना, पर्वतारोहण संस्थानों और उनके विकास तथा स्काउटिंग तथा गाइडिंग और राष्ट्रमंडलीय युवक कार्यक्रमों और राष्ट्रीय एकता के संवर्धन, युवकों के प्रशिक्षण, युवा क्लबों, पिछड़ी जनजातियों में युवा गतिविधियों को बढ़ाने के लिए विशेष योजना, श्रेष्ठ युवा क्लबों और युवा विकास केन्द्रों को पुरस्कार देने की योजना और संयुक्त राष्ट्र स्वयं सेवक कार्यक्रम को योगदान के लिए व्यवस्था की जाती है । इनमें से बड़ी संख्या में योजनाओं को संशोधित, विलयित और युक्तिसंगत बनाया जा रहा है। अनुसंधान, मूल्यांकन और प्रकाशन हेतु अलग प्रावधान रखा गया है ।

11. **भारतीय खेल कूद प्राधिकरण** : भारतीय खेलकूद प्राधिकरण एक स्वायत्तशासी निकाय है जिसमें अनेक योजना स्कीमों को कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसमें खेल कूद की प्रतिभाओं का पता लगाने और उन्हें विकसित करने, विशेष क्षेत्रों में खेल-कूद को प्रोत्साहन देने, खेल-कूद उपस्करों का एक केन्द्रीय पूल बनाना, महिला खेलों, ग्रामीण खेलों, खेल छात्रवृत्तियों को प्रोत्साहन, राष्ट्रीय प्रशिक्षु कैम्पों का संचालन, स्टेडियमों के प्रबन्धन के अलावा खेल छात्रावासों की स्थापना तथा उनका प्रबन्धन शामिल है।

12. **लक्ष्मी बाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान** : संस्थान को समविश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशानुसार अब संस्थान को इसकी विभिन्न खेल सम्बन्धित गतिविधियों के लिए सीधे अनुदान जारी किए जाएंगे।

13. **खेलकूद संघों को अनुदान** : खेल-कूद संघों को अनुदान प्रशिक्षु कैम्पों, वरिष्ठों, कनिष्ठों तथा उप-कनिष्ठों के लिए राष्ट्रीय चैम्पियनशिप का आयोजन तथा खेल-कूद के सामान की खरीद करके अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खेलकूद आयोजनों में भाग लेने के लिए राष्ट्रीय टीमों को तैयार करने के लिए है।

14. **विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को अनुदान** : विश्वविद्यालयों और महाविश्वविद्यालयों को अनुदान विश्वविद्यालयों में खेलों तथा खेलों के आधारभूत ढांचे के संवर्धन के लिए दिए जाते हैं । योजनाओं का कार्यान्वयन यू.जी.सी., भारतीय विश्वविद्यालय संघ तथा भारतीय खेल प्राधिकरण के माध्यम से किया जाता है । इसमें प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को दी गई छात्रवृत्तियां शामिल हैं ।

15. **खेलकूद गतिविधिय़ों के संवर्धन के लिए प्रोत्साहन** : उत्कृष्ट खिलाड़ियों को प्रोत्साहन प्रदान करने तथा स्कूल स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए भी सहायता देने के लिए एक पैकेज प्रोत्साहन स्कीम तैयार की गई है।

16. **खेलकूद आधारभूत संरचना का सर्जन** : यह योजना राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के टूर्नामेंटों तथा मैचों का आयोजन करने के लिए आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था करने, खेल के मैदानों का विकास करने, जिमनास्टिक के स्टेडियमों तथा तरणतालों का निर्माण करने आदि के लिए तैयार की गई है। अनुदान केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों/प्रायोजकों के बीच हिस्सेदारी पर आधारित है ।

17. **सिंथेटिक ट्रैक और सतह का बिछाना** : हमारी टीमों को कृत्रिम ट्रैकों और एस्ट्रो सतह बिछे खेल के मैदानों के उपयोग से अवगत कराने के लिए इस योजना के अन्तर्गत देश के विभिन्न क्षेत्रों में कृत्रिम ट्रैक व्यवस्थापन तथा कृत्रिम

सतह बिछाने की व्यवस्था व्यापक स्तर पर की जाएगी।

18. **खेल छात्रवृत्ति स्कीम** : इस स्कीम का उद्देश्य युवा लड़कों और लड़कियों में विद्यालय स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक खेलों की ओर उनकी अभिक्षमता का विकास करना और उन्हें पौष्टिक आहार प्राप्त करने में समर्थ बनाना है।

19. पहले अफ्रीकी-एशियाई खेलों का आयोजन नवम्बर, 2001 में नई दिल्ली में किया जाएगा।

20. **राष्ट्रीय खेल विकास निधि** : यह राष्ट्रीय विकास निधि स्कीम से संबंधित है, जिसका प्रादुर्भाव नई राष्ट्रीय प्रारूप खेल नीति से हुआ है। उक्त निधि की स्थापना नीति में प्रस्तुत की गयी है। संशोधित खेल नीति में यह उल्लेख किया गया है कि सरकार द्वारा एक राष्ट्रीय खेल विकास निधि (एमएसडीएफ) की स्थापना की जाएगी। देश के भीतर और बाहर निधि में किए गए सभी अंशदानों पर आयकर में 100 प्रतिशत छूट प्राप्त होगी। निधि की इस स्कीम का लक्ष्य देश में खेलों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से सरकार तथा विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों और व्यक्तियों से पर्याप्त संसाधनों की व्यवस्था करना है।

21. **अन्य योजनाएं** : इनके अन्तर्गत ग्रामीण खेलकूद कार्यक्रमों की व्यवस्था करने, खेल-कूद स्कीमों के मूल्यांकन, महिलाओं में खेलकूद को बढ़ावा देने, महिलाओं के लिए राष्ट्रीय खेल-कूद चैम्पियनशिप और खेल-कूद व शारीरिक शिक्षा दल विशेषज्ञों का आदान-प्रदान और केन्द्रीय विद्यालयों में एन.सी.सी. कैडेटों के लिए शारीरिक शिक्षा विशेषज्ञों और दल अनुदान शामिल करने की योजनाएं हैं। अखिल भारतीय शारीरिक शिक्षा परिषद के लिए एक सांकेतिक प्रावधान भी रखा गया है।

23. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम की लाभ परियोजनाओं / स्कीमों के लिए बजट अनुमान 2001-02 में 21.50 करोड़ रुपए का कुल प्रावधान शामिल किया गया है। बजट अनुमान 2001-2002 में 23.45 करोड़ रुपए का एक पृथक प्रावधान किया गया है।